

नज़ूल भूमि

प्रलमिस के लयि:

[वधिवंस अभयान](#), नज़ूल भूमि (स्थानांतरण) नयिम, 1956, नज़ूल भूमि, वधिवंस अभयान, अतकिरणमण ।

मेन्स के लयि:

नज़ूल भूमि, वधिवंस अभयानों के ख़लाफ़ कानून, नरिणय और मामले ।

स्रोत: [इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चरचा में क्यो?

हाल ही में उत्तराखंड के हल्द्वानी ज़िले में प्रशासन द्वारा कथति तौर पर नज़ूल भूमि पर एक मसजिद और मदरसे की जगह पर अतकिरणमण हटाने के लयि [वधिवंस अभयान](#) (Demolition Drive) चलाने के बाद हसिा भड़क गई ।

- हल्द्वानी ज़िला प्रशासन के अनुसार, जसि संपत्ति पर दो संरचनाएँ स्थति हैं, वह नगर परिषद की नज़ूल भूमि के रूप में पंजीकृत है ।

नज़ूल भूमि क्या है?

■ परिचय:

- नज़ूल भूमि का स्वामतिव सरकार के पास है लेकनि अक्सर इसे सीधे राज्य संपत्ति के रूप में प्रशासति नहीं कयिा जाता है ।
 - राज्य आम तौर पर ऐसी भूमि को कसिी भी इकाई को 15 से 99 वर्ष के बीच एक नश्चति अवधि के लयि पट्टे पर आवंटति करता है ।
- यद पट्टे की अवधि समाप्त हो रही है, तो कोई व्यक्ति स्थानीय विकास प्राधिकरण के राजस्व वभिाग को एक लिखति आवेदन जमा करके पट्टे को नवीनीकृत करने के लयि प्राधिकरण से संपर्क कर सकता है ।
- सरकार पट्टे को नवीनीकृत करने या इसे रद्द करने- नज़ूल भूमि वापस लेने के लयि स्वतंत्र है ।
 - भारत के लगभग सभी प्रमुख शहरों में, वभिनिन प्रयोजनों के लयि वभिनिन संस्थाओं को नज़ूल भूमि आवंटति की गई है ।

■ नज़ूल भूमि का उद्भव:

- ब्रिटिश शासन के दौरान, ब्रिटिशों का वरिध करने वाले राजा-रजवाड़े अक्सर उनके ख़लाफ़ वदिरोह करते थे, जसि के कारण उनके और ब्रिटिश सेना के मध्य कई लड़ाइयाँ हुई । युद्ध में इन राजाओं को परास्त करने पर अंगरेज़ अक्सर उनसे उनकी ज़मीन छीन लेते थे ।
- भारत को आज़ादी मिलने के बाद अंगरेज़ों ने इन ज़मीनों को खाली कर दयिा । लेकनि राजाओं और राजघरानों के पास अक्सर पूरव स्वामतिव साबति करने के लयि उचति दस्तावेज़ों की कमी होती थी, इन ज़मीनों को नज़ूल भूमि के रूप में चहिनति कयिा गया था- जसिका स्वामतिव संबंधति राज्य सरकारों के पास था ।

■ नज़ूल भूमि का उद्देश्य:

- सरकार आम तौर पर नज़ूल भूमि का उपयोग सार्वजनिक उद्देश्यों, जैसे- स्कूल, अस्पताल, ग्राम पंचायत भवन आदि के निर्माण के लयि करती है ।
- भारत के कई शहरों में नज़ूल भूमि के रूप में चहिनति भूमि के बड़े हसिसे को हाउसिंग सोसाइटियों के लयि उपयोग कयिा जाता है, आमतौर पर पट्टे पर ।
- जबकि कई राज्यों ने नज़ूल भूमि के लयि नयिम बनाने के उद्देश्य से सरकारी आदेश जारी कयिे हैं, नज़ूल भूमि (स्थानांतरण) नयिम, 1956 वह कानून है जसिका उपयोग ज़्यादातर नज़ूल भूमि नरिणय के लयि कयिा जाता है ।

अतकिरणमण क्या होता है?

■ परिचय:

- अतकिरणमण का आशय कसिी और की संपत्ति का अनधिकृत उपयोग अथवा कब्ज़ा करने से है । सामान्यतः परतियक्त अथवा अपरयुक्त संपत्तियों के रखरखाव में सक्रयि रूप से शामिल नहीं होने की स्थति में संपत्ति स्वामी की संपत्ति पर अतकिरणमण कर लयिा जाता

है। संपत्तिके स्वामियों को ऐसे मामलों से संबंधित वधिक प्रक्रिया और अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होना अत्यावश्यक है।

- शहरी अतिक्रमण का तात्पर्य शहरी क्षेत्रों में भूमि अथवा संपत्तिके अनधिकृत कब्जे अथवा उपयोग से है।
- इसमें उचित अनुमति अथवा कानूनी अधिकारों के बिना संपत्ति पर अवैध निर्माण, कब्जा अथवा किसी अन्य प्रकार का कब्जा शामिल हो सकता है।
- भारतीय दंड संहिता (IPC), 1860 की धारा 441 में भूमि अतिक्रमण को परिभाषित किया गया है जिसके अनुसार किसी अन्य के कब्जे की संपत्ति पर अपराध करने अथवा व्यक्ति को, जिसके कब्जे में ऐसी संपत्ति है, भयभीत करने अथवा वधिपूर्वक रूप से संपत्ति में प्रवेश करने की अनुमति के बिना किसी और की संपत्ति में अवैध रूप से प्रवेश करने का कार्य अतिक्रमण है।

■ अवैध अतिक्रमण हटाने की प्रक्रिया:

- संबद्ध विषय में कोई भी कार्रवाई करने से पूर्व नगर नगिम अधिकारियों द्वारा आमतौर पर अवैध अतिक्रमण में शामिल व्यक्तियों अथवा प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी करना आवश्यक होता है।
- सर्वोच्च न्यायालय से साथ-साथ अन्य न्यायालयों ने ऐसे मामलों में उचित प्रक्रिया के महत्त्व पर जोर दिया और अमूमन नरिणय किया कि किसी भी संपत्तिके वधिवंस करने से पूर्व संबद्ध व्यक्तियों को उचित नोटिस तथा सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है।
- वर्ष 1985 के ओल्गा टेलसि मामले में, आजीविका के अधिकार तथा झुग्गीवासियों के अधिकारों को आधार बनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने नरिणय किया कि आजीविका का अधिकार जीवन के अधिकार का एक हिस्सा है।
- यदि संबद्ध व्यक्ति द्वारा प्रत्युत्तर देने में वफिल रहने अथवा संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं देने की दशा में नगर नगिम अधिकारिसंपत्ति को वधिवंस करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं।
- अधिकारियों से आमतौर पर उल्लंघन की प्रकृति और नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अनुपालन करने के लिये की गई प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए आनुपातिक रूप से कार्य करने की अपेक्षा की जाती है।

